गुजरात में सिंचाई सुविधायें

2936. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य में सिंचाई सुविधाएं अन्य राज्यों की तुलना में अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) भारत की सृजित सिंचाई क्षमता कुल मिलाकर चरम सिंचाई क्षमता का लगभग 75% है, जबकि गुजरात का 54%है ।

(ख) गुजरात में अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के मुख्य कारण बारहमास ही नदी का न होना, भू-जल संसाधनों की कमी; वर्षा का अनियमित रूख और असमान वितरण हैं ।

(ग) और (घ) गुजरात में इन सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक, सहायता प्राप्त हुई हैं— मेतरंजी सिंचाई परियोजना, कटना सिंचाई परियोजना, गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना, गुजरात बृहद सिंचाई–II परियोजना, सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना, सरदार सरोवर जल वितरण एवं जल निकास परियोजना एवं गुजरात मध्यम सिंचाई–II परियोजना ।

सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

2937. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक से दुबारा ऋण लेने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संदर्भ में 31 जुलाई, 1994 तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) जहां तक जल संसाधन मंत्रालय का संबंध है, 29 मार्च, 1993 से सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता से भारत सरकार अलग हो जाने के पश्चात् गुजरात सरकार से इस परियोजना के वास्ते विश्व बैंक से अन्य ऋण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Irrigation Projects in Maharashtra

2938. SHRI GOVINDRAO ADIK I Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the details of short-term and long-term projects for getting water for irrigation and drinking purposes through various sources in Maharashtra;

(b) how many of these schemes have been cleared for implementation with dates of their clearance in each case indicating the progress made in each case; and

(c) the reasons for not clearing the remaining schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) National Water Policy of 1987 envisages that drinking water should invariably be a component of all irrigation projects wherever there is no alternative source of drinking water. As per present policy, major and medium irrigation projects with Culturable Command Area of 2,000 hectares and above need investment clearance of the Planning Commission. Minor irrigation schemes are sanctioned by the State Governments themeselves and their details are not kept at the Centre.

Since the beginning of VIII Plan, out of 17 major and 22 medium irrigation projects of Maharashtra, one medium project namely Deogad has been given investment clearance by the Planning Commission on 16-11-92 for an estimated cost of Rs. 24.64 crores. 11 major and 14 medium projects have been found acceptable by the Advisory Committee subject to compliance of certain observations such as obtaining clearances from the Ministry of Environment & Forest, Ministry of Welfare, provision of adequate funds, concurrence of State Finance Department etc. by the State Government. The Advisory Committee has deferred consideration on one major project due to non-clearance from eavironment & forests angles. On remaining 5 major and 7 medium projects, the State Government is required to sort out various techno-economic issues with the Central Appraising Agencies. Out of the above, 2 major and 10 medium irrigation projects have specific component of drinking water.

Drinking water Schemes are sanctioned by the States themselves. The schemes envisaging external funding and Central